कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10111/2021 काजल राठौड राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी भर्ती 2018 मे चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थिया को जालौर जिला आवंटित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारडा, जिला–जालौर में पदस्थापित किया गया। याचिकार्थिया के कथनानुसार वह एकल महिला है एवं उसका पदस्थापन गृह जिले पाली से लगभग 150 किमी. दूर है जिसके कारण याचिकार्थिया को कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जालौर जिले के स्थान पर पाली जिले के रा.उ.मा.वि. बाली, रा.बा.उ.मा.वि. बिजापुर बाली अथवा रा.उ.मा.वि. तखतगढ में से किसी एक विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। प्रयोग शाला सहायक तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं बोर्ड द्वारा अभिरस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस जिले को आवंटित किये जावेंगे। प्रयोग शाला सहायक तृतीय श्रेणी की रिक्तियो (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है। अतः जिले के चयन वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियां, यथा–महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा– परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन वर्गवार एवं स्वयं के वर्ग की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट पर विकल्प पत्र आमंत्रित किये जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावें," के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार अध्यापक ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक ग्रेड III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जय/13199/2021 दिनांकः 24/01/22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जयपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली
5. याचिकार्थी काजल राठौड़ प्रयोग शाला सहायक III श्रेणी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भारडा जिला जालौर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)